प्रेस नोट

दिनांक 21.07.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ सामुहिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-154/24, धारा 70, 65(1), 115, 352 बीएनएस व 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-01. तौफीक अहमद पुत्र सईदुल्ला निवासी बभनगांव थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को नयानगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित सूचना दी गयी कि उनकी पत्नी व बेटी शौच के लिए बाहर गयी थी तभी विपक्षी शादाब व तौफीक द्वारा मेरी नाबालिग बेटी को गन्ने के खेत में ले जाकर सामुहिक दुराचार किया गया है तथा मेरी पत्नी को गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा गया है। पत्नी की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुचे तो विपक्षीगण मौके से फरार हो गए थे। डायल-112 की मदद से बेटी को सी0एच0सी0 बभनजोत लाया गया था जहां से डॉक्टरों द्वारा मेरी बेटी को जिला अस्पताल गोण्डा रिफर कर दिया गया है। उक्त सूचना पर थाना खोड़ारे में मु0अ0सं0-154/24, धारा 70, 65(1), 115, 352 बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट बनाम मो0 शादाब व तौफीक अहमद के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम मे दिनांक 20.07.2024 को अभियुक्त शादाब को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 21.07.2024 को खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा आरोपी तौफीक अहमद पुत्र सईदुल्ला निवासी बभनगांव थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को नयानगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. तौफीक अहमद पुत्र सईदुल्ला निवासी बभनगांव थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-154/24, धारा 70, 65(1), 115, 352 बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह

02. का0 प्रकाश यादव

प्रेस नोट
दिनांक 21.07.2024, को0 मनकापुर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विजली के मोटर चोरी करने के 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद बिजली का मोटर(चोरी की) बरामदः-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 362/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. राजेश कुमार वर्मा, 02. रवि गिरी, 03. सुशील विश्वकर्मा को नरेन्द्रपुर जाने वाली रोड़ गुनौरा मोड़ के करीब गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 04 अदद बिजली का मोटर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री गंगाराम वर्मा ग्राम नरेन्द्रपुर पो0झिलाही बाजार थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर पर सूचना दिये कि दिनांक 15.07.2024 को वह रात्रि में अपने खेत में सिचाई कर रहा था कि खाना खाने घर गया था जब वह वापस आया तो देखा की खेत से बिजली का मोटर अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मनकापुर में मु0अ0सं0- 363/24, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गई बिजली की मोटर बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 21.07.2024 को थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. राजेश कुमार वर्मा, 02. रवि गिरी, 03. सुशील विश्वकर्मा को नरेन्द्रपुर जाने वाली रोड़ गुनौरा मोड़ के करीब गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 04 अदद बिजली का मोटर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. राजेश कुमार वर्मा पुत्र लल्लन प्रसाद निवासी जोगापुर हतवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. रवि गिरी पुत्र दूधनाथ गिरी निवासी ग्राम दसवलिया मौजा तकिया खुरेहवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
03. सुशील विश्वकर्मा पुत्र लल्लन विश्वकर्मा निवासी ग्राम मरौची मौजा धुसवा खास थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग
01. मु0अ0सं0- 362/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. 04 अदद बिजली के मोटर (चोरी की)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अखिलेश राही
02. हे0का0 सुरेश गुप्ता
03. हे0का0 रवीश कुमार
04. हे0का0 रणवीर गौतम
05. हे0का0 प्रमोद सिंह
06. का0 रवि सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.07.2024

थाना परसपुर पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-329/24, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 352, 333, 3(5) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त धर्मवीर सिंह उर्फ चन्दन सिंह पुत्र उदयभान सिंह उर्फ लल्लन सिंह निवासी वार्ड न0 10 राजाटोला कस्बा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को पसका मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2024 को समय करीब 2 बजे थानाक्षेत्र परसपुर के कस्बा परसपुर में सूचना मिली कि श्री ओमप्रकाश सिंह नि0 राजा टोला कस्बा परसपुर को मुकदमे की रंजिश को लेकर विपक्षी लल्लन सिंह, बलबीर सिंह, सूरज सिंह, व रोहित तिवारी ने धारदार हथियार से मारा है। जो CHC में है, जहाँ से डॉक्टर द्वारा जिला हास्पिटल गोंडा रिफर किया गया है, जहां ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया था। मृतक के पत्नी श्रीमती नीलम सिंह पत्नी ओमप्रकाश सिंह की तहरीर पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष परसपुर को अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 21.07.2024 को थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना कारित करने वाले हत्याभियुक्त धर्मवीर सिंह उर्फ चन्दन सिंह पुत्र उदयभान सिंह उर्फ लल्लन सिंह निवासी वार्ड न0 10 राजाटोला कस्बा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को पसका मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. धर्मवीर सिंह उर्फ चन्दन सिंह पुत्र उदयभान सिंह उर्फ लल्लन सिंह निवासी वार्ड न0 10 राजाटोला कस्बा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-329/24, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 352, 333, 3(5) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष दिनेश सिंह
02. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय
03. हे0का0 विनोद सिंह
04. हे0का0 राघवेन्द्र शाही
05. हे0का0 विनोद सिंह,
06. म0का0 प्रीति सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.07.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 02 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं ने बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ला, श्री शशी भारती, श्री यशोदानन्द त्रिपाठी, श्रीमती संतोष ओझा, श्रीमती राधा मिश्रा महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती अनीता यादव, म0का0 शाहिना बानो, म0का0 ज्योति राजभर आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।